रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23032026-271192
**CG-DL-W-23032026-271192**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

साप्ताहिक
**WEEKLY**

**सं. 9]** **नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2026, शनिवार/फाल्गुन 24—फाल्गुन 30, 1947**
**No. 9]** **NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2026, SATURDAY/PHALGUNA 24—PHALGUNA 30, 1947**

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके**
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)**
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं**
**Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India**
**(Other than the Ministry of Defence)**

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

**सा.का.नि. 66.—**केंद्रीय सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) के सेवा उपनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पैकेजिंग संस्थान में सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को भारतीय पैकेजिंग संस्थान (सचिव, आईआईपी) भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा। (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगें जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं एवं उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

**4. पद पर नियुक्ति की स्वीकृति-** इन नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

**5. निरर्हताएं- वह व्यक्ति**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पद में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां इसके लिए जो कारण हैं उनकों लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | सचिव |
| 2. | पदों की संख्या | *1 (2026) (नोट: कार्यभार के आधार पर बदलाव के अधीन है) |
| 3. | वर्गीकरण | समूह क (गैर-मंत्रालयी) |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | स्तर 12 (78800 – 209200) |
| 5. | चाहे वह चयन पद हो या गैर-चयन पद | लागू नहीं |
| 6. | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | लागू नहीं |
| 7. | सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं | लागू नहीं |
| 8. | क्या पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी? | लागू नहीं |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | लागू नहीं |
| 10. | भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न तरीकों | प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि संविदा द्वारा |

| | | |
|---|---|---|
| | से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत। | |
| 11 | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की गई थी। | केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार में कार्यरत अधिकारी:<br>(क) (i) नियमित आधार पर समान पद पर हो; या<br>(ii) स्तर 11 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद पर काम कर रहे हों; और धारित की हो<br>(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष से स्नातकोत्तर या एमबीए या कानून में डिग्री और<br>(ii) केंद्र/राज्य सरकार के किसी संगठन में प्रशासनिक, स्थापना नियमावली, वित्तीय क्षेत्र, अनुशासन/सतर्कता संबंधी मामले, विधिक मामले या संबद्ध क्षेत्रों में 5 वर्षों का अनुभव हो।<br>(इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों के किसी अन्य संगठन/विभाग में किसी अन्य गैर-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि संविदा की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक ना हो। प्रतिनियुक्ति/अल्पावधि संविदा पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक ना हो।) |
| 12. | यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है। इसकी संरचना क्या है? | 1. आईआईपी शासी निकाय द्वारा नामित - अध्यक्ष<br>2. निदेशक आईआईपी – सदस्य<br>3. सरकार – सदस्य<br>4. विधिक और मानव संसाधन के क्षेत्र में बाहरी दो विशेषज्ञ आईआईपी शासी निकाय द्वारा नामित।<br>प्रक्रिया:<br>इस पद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी शामिल है। चयन समिति द्वारा चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा और योग्यता क्रम के अनुसार तीन नामों का एक पैनल वाणिज्य विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। पैनल में से किसी एक की नियुक्ति करने के लिए वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की स्वीकृति एमओए के नियम 10 के तहत प्राप्त की जा सकती है। |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है | लागू नहीं |

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. के -45022/9/2018-टीपी-डीओसी]

आभा बिष्ट, अवर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

New Delhi, the 9th March, 2026

**G.S.R. 66.—**In exercise of the powers conferred by Service Bye-Laws of Indian Institute of Packaging (IIP), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the Indian Institute of Packaging, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Indian Institute of Packaging (Secretary, IIP) Recruitment Rules, 2026.(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in the pay matrix** - The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Approval of appointment to the post** - No appointment shall be made without obtaining prior approval of the Central Government under these rules.

**5. Disqualifications- No Person**

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of Post | Secretary |
| 2. | Number of Post | *1 (2026) (Note: Subject to variation dependent on work load) |
| 3. | Classification | Group A (Non-Ministerial) |
| 4. | Level in Pay Matrix | Level 12 (Rs. 78800 – 209200) |
| 5. | Whether Selection Post or Non Selection Post | Not applicable |
| 6. | Age Limit for Direct Recruits | Not applicable |
| 7. | Educational and Other Qualifications required for Direct Recruits | Not applicable |
| 8. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes | Not applicable |
| 9. | Period of Probation, if any. | Not applicable |
| 10. | Method of Recruitment, whether by Direct recruitment or by Promotion or by Deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods. | By Deputation/Short-term-Contract |
| 11. | In case of recruitment by Promotion/deputation grades from which promotion/deputation was made | Officers working in Central/State/Union Territories Government:<br>(A) (i) Holding analogous post on regular basis; or<br>(ii) Holding posts in Level 11 with 5 years regular service; |

| | | |
|---|---|---|
| | | and possessing<br>(B) (i) Post Graduation or MBA or Degree in Law from a recognised University or its equivalent and<br>(ii) Possessing 5 years' experience in areas of administrative, establishment rules, financial area, disciplinary/vigilance matters, legal matters and associated areas under any organisation of the Central/State Govt.<br>(The Period of deputation/short-term-contract including the period of deputation/short-term-contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in some other organisation/department of the Central/State/UT Government or PSU or Universities shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment on deputation/short-term- contract shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of applications.) |
| 12. | If a Departmental Promotion Committee exists. What is its composition | 1. IIP Governing Body to nominate – Chairman<br>2. Director IIP – Member<br>3. Government - Member<br>4. Nominated by IIP Governing Body outside two experts in area of Legal and HR matters.<br>Procedure:<br>Advertisement for the post may be issued in newspapers on All India basis including the Employment News. The selection committee may interview the short-listed candidates and provide a panel of upto 3 names in order of merit to Department of Commerce, Govt. of India. Approval of Department of Commerce, Govt. of India, may be sought to appoint one among from the panel under Rule 10 of MOA. |
| 13. | Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment | Not Applicable |

This issues with the approval of Competent Authority.

[F. No. K-45022/9/2018-TP-DoC]

ABHA BIST, Under Secy.

---

**जल शक्ति मंत्रालय**

**(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

**सा.का.नि. 67.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बांध परियोजना, सहायक (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि –** उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

**4. निरर्हता -** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

**6. व्यावृत्ति-** इन नियमों में कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों, पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| **पद का नाम।** | **पद की संख्या।** | **वर्गीकरण।** | **वेतन मैट्रिक्स में स्तर।** | **चयन पद या अचयन पद।** | **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सहायक। | 22* (2026)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा,<br><br>समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर-6<br><br>(35400-112400 रूपए)। | चयन। | 30 वर्ष से अधिक नहीं।<br><br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।)<br><br>**नोट:** आयु सीमा अवधारित करने की अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री।<br>**टिप्पण:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | नहीं। | दो वर्ष।<br>(प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए।)<br>**टिप्पण**: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। | 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके नहीं हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है, और 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में वेतन स्तर-4 में के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा और स्थापना, सतर्कता, वित्तीय, खरीद और न्यायालयी मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।<br>**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष;<br>2. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य;<br>3. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| **प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित):**<br>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या कानूनी संगठन या स्वायत्त निकाय के अधिकारी:<br>(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या<br>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) के स्तर-4 में या समतुल्य पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ, और<br>(iii) स्तंभ (7) में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विधि अर्हता और अनुभव रखते हों।<br>सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रोन्नति वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 में के ऐसे अपर श्रेणी लिपिक की, जिन्होंने उस श्रेणी में छ: वर्ष की नियमित सेवा की हो, में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।<br>**टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>**टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

[फा. सं. ए-12018/16/2023- ई-III]

रवि रंजन, अवर सचिव

## MINISTRY OF JAL SHAKTI

### (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 10th March, 2026

**G.S.R. 67.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Farakka Barrage Project , Assistant (Group 'B'), Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Assistant (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Assistant. | 22* (2026)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service,<br>Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-6<br>(Rs. 35400-112400). | Selection. | Not exceeding 30 years.<br>(Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Bachelor Degree in any discipline from a recognised university or board or institution.<br>**Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case | No. | Two years.<br>(For promotion and direct recruitment.<br>**Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for the direct recruits for | 40 percent by direct recruitment , 50 percent by promotion failing which by deputation including short-term contract and 10 percent by limited departmental competitive examination. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| candidates otherwise well qualified. | | successful completion of the probation as prescribed by the Central Government. | |

| **In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| By promotion from amongst Upper Division Clerk in pay level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks of training in the field of Establishment, Vigilance, Financial, Procurement and Court Cases matters.<br><br>**Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**deputation (including short-term contract):**<br><br>Officers of the Central Government or State Government or Union Territories Administrations or Public Sector Undertaking or universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations:<br><br>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or<br><br>(ii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department, and<br><br>(iii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).<br><br>Promotion through limited departmental competitive examination:<br><br>Limited departmental competitive examination from Upper Division Clerk of level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years regular service in the grade.<br><br>**Note 1.-** The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consists of: -**<br><br>1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson;<br><br>2 Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member;<br><br>3. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources , River Development and Ganga Rejuvenation – Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| | | |
|---|---|---|
| Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br><br>**Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed three years.<br><br>**Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. | | |

[F. No. A-12018/16/2023-E-III]

RAVI RANJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

**सा.का.नि. 68.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) और सहायक इंजीनियर (सिविल/यांत्रिक/विद्युत), (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल), कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल), कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, फरक्का बैराज परियोजना, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल), कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक), समूह-'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. आवेदन-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि–** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता-**वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति-** इन नियमों में कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों, पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पदों का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)। | 26 * (2026)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित,गैर-अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)। | लागू नहीं होता। | 30 वर्ष से अनधिक ।<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगीं या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धतिःभर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा।<br>**टिप्पण-**अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष।<br>**टिप्पण-**केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अनुसार परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा। | सीधी भर्ती द्वारा।<br>**टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या, लंबी बीमारी, अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं:<br>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 के पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और<br>जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव हो। |

| **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।** | **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा** |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के लिए):-<br>1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष;<br>2. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य;<br>3. कार्यकारी इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य;<br>4. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. कनिष्ठ इंजीनियर (मैकेनिकल)। | 9 * (2026)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख ' अराजपत्रित,गैर-अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)। | लागू नहीं होता। | 30 वर्ष से अनधिक।<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष।<br>**टिप्पण-** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अनुसार परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा | सीधी भर्ती द्वारा।<br>**टिप्पण-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **टिप्पण:** अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। | | करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा। | अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं:<br>(क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश पद धारण किए हों; या<br>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और<br>(ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | समूह 'ख', विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि हेतु) :-<br>1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष;<br>2. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य;<br>3. कार्यकारी इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य;<br>4. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. कनिष्ठ इंजीनियर<br>(विद्युत) | 3* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', गैर-राजपत्रित, गैर-अननुसचिवीय। | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6<br>(35400-112400 रुपये) | लागू नहीं होता। | तीस वर्ष से अनधिक।<br>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण-** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत इंजिनियरी में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा।<br>**टिप्पण-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन | लागू नहीं होता। | दो वर्ष।<br>**टिप्पण-** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अनुसार परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा। | सीधी भर्ती द्वारा।<br>**टिप्पण-** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती है: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की सकती है। | | | (क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश पद धारण किए हुए हों; या<br>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 के पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और<br>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि हेतु):-<br>1. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना - अध्यक्ष;<br>2. अधीक्षण इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य;<br>3. कार्यकारी इंजीनियर, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य;<br>4. अवर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य। | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. ए-12018/18/2023- ई-III]

रवि रंजन, अवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 2026

**G.S.R. 68.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Farakka Barrage Project, Junior Engineer (Civil/Mechanical/Electrical) and Assistant Engineer (Civil/Mechanical/Electrical), (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2014, in so far as they relate to the post of Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical) and Junior Engineer(Mechanical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer(Civil), Junior Engineer(Electrical) and Junior Engineer(Mechanical), in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Junior Engineer(Civil), Junior Engineer(Electrical) and Junior Engineer(Mechanical), Group- 'B' Post Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of the posts.** | **Number of posts.** | **Classification.** | **Level in pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| 1. Junior Engineer (Civil). | 26 * (2026)<br>* Subject to variation dependent on workload. | General Central Service,<br>Group 'B', Non-Gazetted,<br>Non-Ministerial. | Level-6<br>(Rs. 35400-112400). | Not applicable. | Not exceeding 30 years.<br>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>**Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Bachelor's Degree or Diploma in Civil Engineering from a recognised university or institution.<br>**Note.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. | Not applicable. | Two years.<br>**Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government. | By direct recruitment.<br>**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:<br>(i) holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) with six years regular service in posts in the level-5 of the pay matrix; and<br>possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). |

| **In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) :-<br>1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson;<br>2. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member;<br>3. Executive Engineer, Farakka Barrage Project – Member;<br>4. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Junior Engineer (Mechanical). | 9 * (2026)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-6<br>(Rs. 35400-112400). | Not applicable. | Not exceeding thirty years.<br>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>**Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Degree or Diploma in Mechanical Engineering from a recognised university or institution.<br>**Note.-**Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. | Not applicable. | Two years.<br>**Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government. | By direct recruitment.<br>**Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or<br>((ii) with six years regular service in posts in the level-5 of the pay matrix; and<br>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) :-<br>1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson;<br>2. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member;<br>3. Executive Engineer, Farakka Barrage Project – Member;<br>4. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.Junior Engineer<br>(Electrical). | 3* (2026) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Level-6<br>(Rs. 35400-112400). | Not applicable. | Not exceeding thirty years.<br>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Bachelor's Degree or Diploma in Electrical Engineering from a recognised university or institution.<br>**Note.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. | Not applicable. | Two years.<br>**Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government. | By direct recruitment.<br>**Note.-**Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) with six years regular service in posts in the level-5 of the pay matrix; and<br>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation): -<br>1. General Manager, Farakka Barrage Project – Chairperson;<br>2. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project – Member;<br>3. Executive Engineer, Farakka Barrage Project – Member;<br>4. Under Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. A-12018/18/2023-E-III]

RAVI RANJAN, Under Secy.

## संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

**सा.का.नि. 69.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय वर्गीय पद) भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक वे प्रकाशन सहायक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण में प्रकाशन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, प्रकाशन सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र **नहीं** होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| प्रकाशन सहायक | 01* (2026)<br><br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए) |

| चयन पद या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|
| (5) | (6) | (7) |
| चयन | अठारह वर्ष और सत्ताइस वर्ष के मध्य (दोनों अंतर्विष्ट)<br><br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)<br><br>**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति तथा पंगी उप-खंड, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए विहित अंतिम तारीख। | अनिवार्य :<br><br>**(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से में स्नातक उपाधि; और**<br>(ख) किसी सरकारी कार्यालय में या किसी प्रकाशन और मुद्रण प्रतिष्ठान में डेस्कटॉप पब्लिशिंग सहित प्रूफ शोधन, संपादन और प्रकाशन कार्य में दो वर्ष का अनुभव।<br><br>**टिप्पणी : 1.** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।<br><br>**टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा: यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति द्वारा; और यदि दोनों विफल रहे, तो सीधी भर्ती द्वारा | प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63300) में संयोजक और मशीन चालक की परस्पर वरिष्ठता में से वरिष्ठ प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में तेरह वर्ष की सेवा प्रदान की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह-'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – अध्यक्ष;<br>2. अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य;<br>3. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य;<br>**समूह-'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – अध्यक्ष;<br>2. अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली - सदस्य;<br>3. कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. 6-2/2024-ए व ए]

विनय कुमार तरुण, अवर सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 27th February, 2026

**G.S.R. 69.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Anthropological Survey of India (General Central Service, Class III Posts) Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Publication Assistant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Publication Assistant in the Anthropological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, Publication Assistant, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. – No person**, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| **Name of post.** | **Number of Post.** | **Classification.** | **Level in the pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age-limit for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Publication Assistant. | 01* (2026)<br><br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service,<br><br>Group – 'C',<br><br>Non-Gazetted,<br><br>Non-Ministerial. | Level – 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300). | Selection. | Between 18 and 27 years of age.<br><br>(The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instruction or order issued by the Central Government)<br><br>Note: The crucial date of determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti districts and Pangi sub-division of Himachal Pradesh, Union territory Administration of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** | **In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.** |
|---|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** |
| Essential:<br>(a) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and<br>(b) two years' experience in Proof reading, editing and publication work including Desktop Publishing in a Government Office or in a publishing and printing concern.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable. | Two years. | By promotion, failing which by deputation, and failing both by direct recruitment. | Promotion:<br>Promotion from senior among the inter se seniority of Compositors and Machine Man in Level-2 in the pay matrix (19900 – 63300) with thirteen years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>**Note:** Where juniors who completed their qualifying or eligibility are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|
| **(12)** | **(13)** |
| **Group – 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -**<br>1. Director, Anthropological Survey of India, Kolkata – Chairperson;<br>2. Under Secretary, Ministry of Culture, New Delhi – Member;<br>3. Head of Office, Anthropological Survey of India – Member; | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| | |
|---|---|
| **Group – 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)**<br>**consisting of: -**<br>1. Director, Anthropological Survey of India – Chairperson;<br>2. Under Secretary, Ministry of Culture, New Delhi – Member;<br>3. Head of Office, Anthropological Survey of India, Kolkata –Member; | |

[F. No. 6-2/2024-A&A]

VINAY KUMAR TARUN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.23 15:47:02 +05'30'